



श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ़ जंक्शन

“जय सहकार” मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के अन्तर्गत देय अनुदान 5 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त
क्रमांक :- गंगमूल/मूल्य तालिका/2025/14402-416 दिनांक : 29.03.2025

260522
260793

दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों व प्रस्तावित समितियों के लिए दूध की प्रस्तावित खरीद मूल्य सूची दिनांक 01.04.2025 से प्रभावी

फैट	SNF 8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0
3.2	28.63	28.92	29.21	29.39	29.57	29.75	29.93	30.11
3.3	28.95	29.24	29.54	29.72	29.90	30.08	30.26	30.44
3.4	29.27	29.57	29.87	30.05	30.23	30.41	30.59	30.77
3.5	30.31	30.62	30.93	31.11	31.29	31.47	31.65	31.83
3.6	30.64	30.96	31.27	31.45	31.63	31.81	31.99	32.17
3.7	30.98	31.29	31.61	31.79	31.97	32.15	32.33	32.51
3.8	31.68	32.01	32.33	32.51	32.69	32.87	33.05	33.23
3.9	32.02	32.34	32.67	32.85	33.03	33.21	33.39	33.57
4.0	32.35	32.68	33.01	33.19	33.37	33.55	33.73	33.91
4.1	32.68	33.02	33.35	33.53	33.71	33.89	34.07	34.25
4.2	33.41	33.75	34.09	34.27	34.45	34.63	34.81	34.99
4.3	33.74	34.09	34.43	34.61	34.79	34.97	35.15	35.33
4.4	34.48	34.83	35.18	35.36	35.54	35.72	35.90	36.08
4.5	34.82	35.17	35.53	35.71	35.89	36.07	36.25	36.43
4.6	35.16	35.52	35.88	36.06	36.24	36.42	36.60	36.78
4.7	35.92	36.28	36.65	36.83	37.01	37.19	37.37	37.55
4.8	36.26	36.63	37.00	37.18	37.36	37.54	37.72	37.90
4.9	36.61	36.99	37.36	37.54	37.72	37.90	38.08	38.26
5.0	36.96	37.33	37.71	37.89	38.07	38.25	38.43	38.61
5.1			38.23	38.63	39.03	39.44	39.84	40.24
5.2			38.98	39.39	39.80	40.21	40.62	41.03
5.3			39.48	39.90	40.31	40.73	41.14	41.56
5.4			40.22	40.65	41.07	41.49	41.92	42.34
5.5			40.97	41.40	41.84	42.27	42.70	43.13
5.6			41.61	42.05	42.49	42.92	43.36	43.80
5.7			42.35	42.80	43.24	43.69	44.13	44.58
5.8			43.09	43.55	44.00	44.45	44.91	45.36
5.9			43.84	44.30	44.77	45.23	45.69	46.15
6.0			44.58	45.05	45.52	45.99	46.46	46.93
6.1			45.04	45.51	45.99	46.46	46.94	47.41
6.2			45.78	46.26	46.74	47.23	47.71	48.19
6.3			46.51	47.00	47.49	47.98	48.47	48.96
6.4			47.25	47.75	48.25	48.75	49.24	49.74
6.5			47.99	48.50	49.00	49.51	50.01	50.52
6.6			48.74	49.25	49.76	50.27	50.79	51.30
6.7			49.48	50.00	50.52	51.04	51.56	52.08
6.8			50.21	50.74	51.26	51.79	52.32	52.85
6.9			50.95	51.48	52.02	52.56	53.09	53.63
7.0			51.69	52.23	52.78	53.32	53.87	54.41
7.1			52.09	52.64	53.19	53.73	54.28	54.83
7.2			52.83	53.39	53.94	54.50	55.05	55.61
7.3			53.56	54.12	54.69	55.25	55.82	56.38
7.4			54.29	54.86	55.44	56.01	56.58	57.15
7.5			55.03	55.61	56.19	56.77	57.35	57.93
7.6			55.15	55.70	56.30	56.85	57.50	58.05
7.7			55.47	56.05	56.64	57.22	57.81	58.39
7.8			55.53	56.11	56.70	57.28	57.87	58.45
7.9			56.24	56.83	57.42	58.02	58.61	59.20
8.0			56.95	57.55	58.15	58.75	59.35	59.95
8.1			57.12	57.72	58.33	58.93	59.53	60.13
8.2			57.84	58.44	59.05	59.66	60.27	60.88
8.3			58.54	59.16	59.77	60.39	61.00	61.62
8.4			59.24	59.87	60.49	61.11	61.74	62.36
8.5			59.95	60.59	61.22	61.85	62.48	63.11
8.6			60.66	61.30	61.93	62.57	63.21	63.85
8.7			61.36	62.01	62.65	63.30	63.94	64.59
8.8			62.06	62.72	63.37	64.02	64.68	65.33
8.9			62.78	63.44	64.10	64.76	65.42	66.08
9.0			63.48	64.15	64.82	65.48	66.15	66.82
9.1			64.18	64.86	65.53	66.21	66.88	67.56
9.2			64.89	65.58	66.26	66.94	67.63	68.31
9.3			65.60	66.29	66.98	67.67	68.36	69.05
9.4			66.30	67.00	67.70	68.39	69.09	69.79
9.5			67.01	67.72	68.42	69.13	69.83	70.54
9.6			67.72	68.43	69.14	69.85	70.57	71.28
9.7			68.42	69.14	69.86	70.58	71.30	72.02
9.8			69.12	69.85	70.58	71.30	72.03	72.76
9.9			69.83	70.57	71.30	72.04	72.77	73.51
10.0			70.54	71.28	72.02	72.77	73.51	74.25

- फूड सेफ्टी स्टेण्डर्ड एक्ट 2006 की पालना करना दुग्ध समितियों के सदस्यों एवं प्रबन्धकारिणी का दायित्व है।
- 3.2 प्रतिशत फैट व 8.0 प्रतिशत एसएनएफ से कम का दूध स्वीकार नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में अगर स्वीकार किया जाता है तो दूध का भुगतान रूपये 500 प्रति किलो फैट का भुगतान किया जायेगा।
- विशेष परिस्थितियों में अगर 8.3% से कम एसएनएफ का दूध स्वीकार किया जाता है तो 8.2%, 8.1% एवं 8.0% एसएनएफ आने पर 8.5% एसएनएफ पर निर्धारित दुग्ध क्रय दर का संघ द्वारा क्रमशः 94%, 92% एवं 90% भुगतान किया जायेगा। 5.1% से 10.00% तक फैट आने पर 8.3% एसएनएफ के नीचे का दूध स्वीकार नहीं किया जायेगा। 8.4% व 8.3% एसएनएफ आने पर 9.0% एसएनएफ का क्रमशः 93% व 87% भुगतान किया जायेगा एवं एसएनएफ 8.3% से कम आने पर तो रूपये 500 प्रति किलो फैट की दर से भुगतान किया जायेगा।
- खटटे दूध का मूल्य संघ की दुग्ध क्रय दर के अच्छे दूध के भुगतान का 50 प्रतिशत देय होगा।
- दही का भुगतान रु 2.50 प्रति किलो से देय होगा।
- समितियों को ओवर हेड संघ की दुग्ध क्रय दर पर 3% की दर से देय होगा एवं प्रस्तावित दुग्ध समितियों को संघ की दुग्ध क्रय दर पर 2 प्रतिशत ओवरहेड देय होगा। दुग्ध समिति / प्रस्तावित समितियों को ओवरहेड केवल दुग्ध संघ द्वारा देय खरीद मूल्य पर ही लागू होगा।
- मिलावटी दूध का भुगतान देय नहीं होगा। मिलावटी दूध ऑक पर नष्ट कर दिया जायेगा और दण्ड स्वरूप रूपये 5/- प्रति किग्रा की दर से कटौति की जायेगी।
- “मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना” के अन्तर्गत देय रूपये 5/- प्रति लीटर अनुदान राशि का भुगतान सम्बन्धित दुग्ध उत्पादकों के बैंक खाते में सीधा (DBT) किया जायेगा। जिस पर ओवर हेड देय नहीं होगा।

आर.के. बवेजा
प्रभारी (एम.आई.एस.)

महेन्द्र कुमार
प्रभारी (लेखा)

जी.सी.स्वामी
प्रभारी (पी. एण्ड आई.)

उग्रसेन सहारण
प्रबन्ध संचालक